भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 453

दिनांक 30.11.2021/ 9 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादियों द्वारा नागरिकों और जवानों की हत्या

†453. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री सु. थिरुनवुक्करासरः

श्री एस. आर. पार्थिबनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में श्रीनगर में नागरिकों, गैर-कश्मीरियों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और जवानों की आतंकवादियों द्वारा और मणिपुर में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर हत्या की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन घटनाओं में मारे गए/घायल हुए रक्षा / पुलिसकर्मिकों, नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आम आदमी को आतंकवाद विरोधी / नक्सल अभियानों से बचाने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)

(क) और (ख): वर्ष 2017 से 2021 तक (दिनांक 15.11.2021 तक) आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में घायल हुए अथवा अपनी जान गंवाने वाले जम्मू और कश्मीर पुलिस के कार्मिकों समेत सुरक्षा बलों के कार्मिकों और आम नागरिकों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विवरण	2017	2018	2019	2020	2021 (दिनांक 15.11.2021 तक)
मारे गए जम्मू और कश्मीर पुलिस के कार्मिकों समेत सुरक्षा बल कार्मिक	80	91	80	62	35
घायल हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस के कार्मिकों समेत सुरक्षा बल कार्मिक	226	238	140	106	86
मारे गए आम नागरिक	40	39	39	37	40
घायल हुए आम नागरिक	99	63	188	112	72

मणिपुर में घात लगाकर हमला करने की हाल की घटना में, संदिग्ध विद्रोहियों ने 13 नवम्बर, 2021 को चूड़ाचांदपुर जिले में भारत-म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें असम राइफल्स के पांच कार्मिकों और दो आम नागरिकों समेत सात लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके अतिरिक्त, इस घटना में असम राइफल्स के छह जवान भी घायल हुए थे।

(ग) से (ङ): सुरक्षा बल आतंक/नक्सल-रोधी ऑपरेशनों के दौरान पूरी सावधानी और संयम बरतते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई आम नागरिक घायल न हो। आतंकवादी हमलों से आम नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में आतंकवादियों के विरूद्ध सक्रिय कार्रवाई करना, ओवर ग्राउंड वर्करों/आतंकवाद के सपोर्टरों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना, प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई करना, रात में गश्त बढ़ाना और नाकों पर चेकिंग करना, उपयुक्त तैनाती के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था करना, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बैठकें आयोजित करना, सुरक्षा बलों द्वारा उच्च स्तरीय सतर्कता बरतना, आतंकी फंडिंग के मामले में कानूनी कार्रवाई करना इत्यादि शामिल हैं।

****